

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(उच्च शिक्षा, निदेशालय)

प्रेषक,

हरीश चन्द्र कायम,
सरकार के उपसचिव,

सेवा में,

कुलसचिव,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

रांची, दिनांक 07.05.2015

विषय - विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अन्तर्गत बी०एड० महाविद्यालयों का शैक्षणिक सत्र 2015-17 के लिए संबन्धन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि I.A. No.-08 in WP(C) No. 276/2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.13 को पारित आदेश के आलोक में आपके विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित बी०एड० महाविद्यालयों को सत्र 2015-17 के लिए संबन्धन दिए जाने को प्रस्ताव आपसे प्राप्त है। उक्त प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित महाविद्यालयों को इस पत्र की कड़िका-2 में अंकित शर्तों के साथ अनुमोदन देने की स्वीकृति प्रदान की गई-

क्र०	महाविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का पत्रांक/दिनांक	NCTE का पत्रांक/दिनांक
1.	स्कॉलर बी०एड० कॉलेज, गिरिडीह	1090/19.03.15	18901/14.06.12
2.	दामोदर वैली शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धनबाद	1096/19.03.15	19844/30.07.13
3.	ए०आर०एस० बी०एड० कॉलेज, बोकारो	1099/19.03.15	12014/05.06.12
4.	के०एन० बक्सी कॉलेज ऑफ एडुकेशन, गिरिडीह	1091/19.03.15	20199/14.08.13
5.	लाला प्रियम बी०एड० कॉलेज, चतरा	1083/19.03.15	27726/11.11.14
6.	श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग	1082/19.03.15	12820/22.07.12
7.	गौतम बुद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग	1079/19.03.15	12683/20.08.08 & 26317/18.06.14
8.	बी०बी०एम० बी०एड० कॉलेज, सरदाहा, बोकारो	1100/19.03.15	13039/02.08.12
9.	स्वामी सहजानन्द सरस्वती बी०एड० कॉलेज, बोकारो	1098/19.03.15	15784/18.01.13
10.	रामशोभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुटुपालु, रामगढ़	1084/19.03.15	19907/01.08.13
11.	रवि महतो स्मारक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गहुदा, धनबाद	1094/19.03.15	13187/09.08.12
12.	डॉ० एस० राधाकृष्ण कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चिकसिया, चास, बोकारो	1086/19.03.15	13206/10.08.12
13.	डॉ० एस० राधाकृष्ण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लारी, रामगढ़	1085/19.03.15	12731/20.07.12
14.	भदनाथ चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चास, बोकारो	1097/19.03.15	21882/18.11.13
15.	महर्षि परमहंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रामगढ़	1103/19.03.15	13731/29.08.12
16.	स्वामी विवेकानन्द टिचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, करभाटाड, बोकारो	1106/19.03.15	22827/31.12.13
17.	एन०पी० शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, चास, बोकारो	1104/19.03.15	30754/03.03.15
18.	सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गिरिडीह	1092/19.03.15	26972/18.08.14
19.	राधा गोविन्द शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामगढ़	1087/19.03.15	4961/15.12.06
20.	बी०बी०एम० शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, तोपचांची, धनबाद	1095/19.03.15	15372/17.12.12
21.	कुमार बी०एड० कॉलेज, राजगंज, धनबाद	1093/19.03.15	23778/12.02.14
22.	स्वामी धर्मबन्धु शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग	1080/19.03.15	30712/03.03.15
23.	ग्रीट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, राजधनवार, गिरिडीह	1105/19.03.15	30382/17.02.15

क्र०	महाविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का पत्रांक/दिनांक	NCTE का पत्रांक/दिनांक
24.	झारखण्ड शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोडरमा	1088/19.03.15	19438/08.07.13
25.	रमेश प्रसाद यादव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोडरमा	1089/19.03.15	20580/31.08.13
26.	माँ विन्ध्यवासिनी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, पदमा, हजारीबाग	1081/19.03.15	13882/31.08.12
27.	दौलत महतो मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बनासो, विष्णुगढ़, हजारीबाग	1102/19.03.15	13909/31.08.12
28.	प्रजन्या बी०एड० कॉलेज, बलियापुर, धनबाद	1101/19.03.15	16589/02.03.13
29.	राधेश्याम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कतरासगढ़, धनबाद।	849/03.03.15	20578/31.08.13

2. विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि-

- (क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 2014 में अंकित प्रावधानों, मापदण्डों एवं शर्तों का सभी शिक्षण संस्थान ससमय अनुपालन करे।
- (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा भविष्य में दिये जाने वाले मार्गदर्शन/निर्देशों का सभी शिक्षण संस्थान अक्षरशः अनुपालन करे।
- (ग) शैक्षणिक सत्र 2015-17 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से प्रस्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्थान को पूर्वी क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भुवनेश्वर से पुनरीक्षित प्रस्वीकृति (Revised Recognition) मिलने के पश्चात ही विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन प्रदान किया जायेगा।
- (घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के अ०स०पत्र संख्या-51-4/2014/NCTE/N&S (Vol-1) दिनांक 09.04.2015 के क्रम में निदेशालीय पत्रांक 831 दिनांक 27.04.2015 द्वारा प्रदत्त निदेश का अनुपालन हो।
- (च) अगर कोई संस्थान किसी भी समय NCTE अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं करता है, तो विश्वविद्यालय वैसे संस्थान की सम्बद्धता समाप्त करने का विधिवत् प्रस्ताव तत्काल विभाग को उपलब्ध करायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के उपसचिव।

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

ज्ञापक : वि०भा०वि०/स्था०/ 1781 /15

दिनांक : 10.05.2015

प्रतिलिपि-

1. सभी संबंधित महाविद्यालय के प्रचार्य/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ पेषित कि सरकार के उपसचिव (उच्च शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग, रांची के उपरोक्त पत्रांक -5/पि 1-79/2014/878 दिनांक 07.05.2015 के आलोक में उपरोक्त (29) शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2015-17 के लिए इस शर्त के साथ औपबधिक रूप से संबंधन प्रदान की जाती है कि सरकार के पत्र में उल्लेखित कडिका-2 में वांछित पत्र/अभिलेख की प्रति विश्वविद्यालय को समर्पित करने के पश्चात ही उक्त सत्र 2015-17 का संबंधन मान्य होगा, अन्यथा आपके महाविद्यालय का उक्त सत्र 2015-17 का संबंधन स्वतः रद्द समझा जायेगा जिनकी मदाबदेही विश्वविद्यालय की नहीं होगी।
2. सरकार के उपसचिव, झारखण्ड सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग, (उच्च शिक्षा निदेशालय), रांची
3. निदेशक (उच्च शिक्षा), झारखण्ड सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग, रांची
4. सभी मदाधिकारी, वि०भा०वि०, हजारीबाग।
5. स्थापना प्रभारी, वि०भा०वि०, हजारीबाग।
6. कुलपति/प्रतिकुलपति/वित्त परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायकों को कुलपति/प्रतिकुलपति/वित्त परामर्शी/कुलसचिव के सूचनार्थ।

P.M. Roy
10-5-15

कुलपति